



दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 5625 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 21 मार्च 2017

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडी0एफडी0सी0 बैंक	50100092871077	IFSC Code HDFC0002080	666.524

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम/द्वितीय किश्त)
1	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0नि0 कानपुर	बाबानगर में रवि सिंह के मकान से महर्षि इण्टर कालेज से गुलाम सिंह के मकान तक एवं अन्य सहायक गलियों में, मनोज गुप्ता के मकान से विकास वर्मा के मकान तक, कामता सिंह के मकान से रजोल सविता के मकान से राजेश दिवाकर के मकान तक, रमेश गुप्ता के मकान से महर्षि इण्टर कालेज से राजू गुप्ता के मकान तक, सूरदास पार्क से शिवा कान्त दीक्षित से राकेश शुक्ला के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, उत्कर्ष हास्पिटल से लाल बहादुर वर्मा तक, श्याम बिहार रस्तोगी के मकान से शिद गोपाल सविता के मकान तक, ललितु सविता के मकान से रिकू पाण्डेय के मकान से अली हुसैन के मकान तक, राम औतार के मकान से राजेन्द्र त्रिवेदी के मकान से पिकू चतुर्वेदी के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, पिकू चतुर्वेदी के मकान से उजियारी लाल सविता के मकान से राम करन अवस्थी के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, कामता प्रसाद के मकान से शिव बालक द्विवेदी के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, विजय पाल के मकान से निशु मेडिकल स्टोर तक, शिवनाथ सिंह यादव के मकान से जगदीश के मकान से मोती किशाना भण्डार तक व अन्य सहायक गलियों में, रविन्द्र मिश्रा के मकान से गुड्डू के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, एवं रविन्द्र मिश्रा के मकान से बच्चू दुबे के मकान से पप्पू दुबे के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, इण्टरलाकिंग साइक एवं नाली निर्माण कार्य।	68.316
2	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किश्त)	न0नि0 कानपुर	बारासिरोही पार्ट-ई में अरविन्द्र यादव के मकान से मनोज कुमार के मकान से महेन्द्र पाल के मकान तक, प्रमोद यादव के मकान से रामा तिवारी के मकान तक, महेन्द्र पाल के मकान से राम कुमार के मकान से नई शिवली रोड तक, महेन्द्र पाल के मकान से जय नारायण शुक्ला के मकान से सन्तोष राठौर के मकान तक, सन्तोष यादव के मकान से अजय दिवाकर के मकान से कुलदीप पाल के मकान तक, कुलदीप पाल के मकान से रवी यादव के मकान से शारदा देवी के मकान तक, अजय चन्देल के मकान से महेन्द्र यादव के मकान से सुजन वर्मा के मकान से शेष नारायण यादव के मकान तक, सर्वेश्वर के मकान से शिव कुमार यादव के मकान तक, सुरेन्द्र वर्मा के मकान से अजय यादव से	90.999



6/2/20

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम/द्वितीय किस्त)
				नई शिवली रोड तक, अजय यादव के मकान से हसन सिंह यादव तक, एम०एम०एम०डी० स्कूल से लखन सिंह यादव के मकान तक, राजेश कुमार के मकान से जय प्रकाश के मकान तक, राजेश के मकान से ट्रान्सफार्मर तक, नई शिवली रोड से आर०डी० पाल के मकान तक, नई शिवली रोड से शहजादे के मकान तक एवं जान्वी प्लेस से मैदान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
3	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	बारासिरोही पार्ट-एफ में नई शिवली रोड से सुखदेव प्रसाद इण्टर कालेज तक, आर०के० सिंह के मकान से एस०के० राठौर के मकान से नई शिवली रोड तक, डी०एस० दुबे के मकान से गौरी अवस्थी के मकान तक, एस०के० मिश्रा के मकान से शिव शंकर अवस्थी के मकान तक, यू०के० त्रिपाठी के मकान से एस०एन० दुबे के मकान तक, रोहित सचान के मकान से कुवर पाल के मकान तक, रोहित सचान के मकान से शारदा पब्लिक स्कूल तक, सुरेश नारायण के मकान से शारदा पब्लिक स्कूल से राकेश कुमार के मकान तक एवं नई शिवली रोड से राम जानकी कटियार से राकेश कुमार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	120.790
4	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	पनकी कलां में सरवन कुमार शुक्ला के मकान से मनोज यादव के मकान तक, सरवन कुमार शुक्ला के मकान से कौशलेन्द्र पाण्डेय के मकान तक एवं राकेश कुमार पासवान के मकान से शरद चन्द्र पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.948
5	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	विनायकपुर पार्ट-सी में ओ०पी० चौरसिया के मकान से उमेश मिश्रा के मकान से अजय प्रकाश कटियार के मकान तक, मोहित सिंह के मकान से अच्छेलाल सोनकर के मकान तक, पीताम्बर सिंह के मकान से कमलेश यादव से सुभाष सरकार के मकान तक एवं विश्वनाथ सिंह के मकान से प्रकाश चन्द्र कटियार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.880
6	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	परमियापुरवा (मण्डी के पास) पार्ट-ए में मैनावती बिदूर रोड से पुलिया तक, प्रभु दयाल के मकान से माया देवी के मकान से राम किशोर के मकान तक एवं मैनावती रोड से बबलू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.894
7	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	बैरी कल्याणपुर में रमाकान्त के मकान से रामनाथ कनौजिया के मकान से बिदूर रोड तक, बिदूर रोड से तुलसीराम यादव के मकान तक, बाबू सतार के मकान से राज नारायण विश्वकर्मा के मकान तक एवं महेन्द्र कनौजिया के मकान से हरी प्रसाद के मकान से मुनीश कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.747
8	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	लखनपुर में मनोहर सिंह के मकान से जे०के० किड्स स्कूल तक, जे०के० किड्स स्कूल से उमा शर्मा के मकान तक, उमा शर्मा के मकान से केशव हास्टल तक एवं अमित प्रजापति के मकान से साहब लाल से राम सुमरिन त्रिवेदी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.822
9	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83	न०नि० कानपुर	गड़रियनपुरवा (निकट पावर हाउस) में परसुराम राजपूत के मकान से	25.503



6/9/13

दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम/द्वितीय किस्त)
		बजट (द्वितीय किस्त)		शिव मन्दिर (पुलिया) तक, परसुराम राजपूत के मकान से अजय तिवारी के मकान तक, फौजी के मकान से विजय पाल के मकान तक एवं विकास पाल के मकान से इण्टरलाकिंग रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
10	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	ख्योरा पार्ट-ए में श्रमजीवी महिला छात्रावास से सुरेश बाजपेयी के मकान तक एवं श्री साहू के मकान से वीरू जनरल स्टोर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.872
11	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	धनऊपुरवा में मेन रोड से सुरेश प्रजापति के मकान तक, आटा चक्की से सुरेश प्रजापति के मकान तक एवं बाबा के मकान से सन्तू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.277
12	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	विसायकपुर कछार में धर्मा के मकान से किशन के मकान तक, राम खिलावन के मकान से दिनेश के मकान तक, किशन के मकान से दुधिया तक, दुधिया के मकान से राम आसरे के मकान तक, राम आसरे के मकान से रातौर के मकान तक, कं०पी० शुक्ला के मकान से दीक्षित जी के मकान तक, दीक्षित जी के मकान से दातादीन के मकान तक, राम चन्द्र के मकान से किशोरी बाबू के मकान तक, एम०के० कटियार के मकान से आर०एस० यादव के मकान तक, आर०एस० यादव के मकान से वी०एन० कुशवाहा के मकान तक, धर्मेश के मकान से आलोकी नाथ के मकान तक, रामबली के मकान से शौकत के मकान तक, रमेश यादव के मकान से जे०पी० सिंह के मकान तक, राकेश के मकान से ध्यारे लाल के मकान तक, जीतेन्द्र के मकान से राम दुलारे के मकान तक, प्रभात के मकान से हरिओम के मकान तक, राजनाथ के मकान से सहज राम के मकान तक, धर्मेश के मकान से दिनेश के मकान तक, ब्रिजपाल के मकान से दुर्गा यादव के मकान तक, महीपाल के मकान से राहुल के मकान तक, श्याम सुन्दर के मकान से कनौजिया के मकान तक एवं अमरेन्द्र के मकान से कन्हैया के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	126.506
13	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	देवी सहाय नगर में राकेश कुमार कटियार के मकान से राम कुमार साहू के मकान तक एवं सोमनाथ के मकान से टिल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.29
14	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	चन्देल गेट नानकारी में सोनू सिंह के मकान से बांके लाल के मकान से होते हुये अजय पाल व राधा दुबे के मकान तक, बिहारी लाल श्रीवास्तव के मकान से कविश्रम से श्यामराजी तक, चैतू के मकान से संजय तिवारी तक एवं संजय तिवारी के मकान से संजय गौड़ तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.61
15	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०नि० कानपुर	तलवामण्डी में अमीरन के मकान से रहीस के मकान व महेश बाल्मीकि के मकान तक, कल्लू के मकान से रवी के मकान व साजदा के मकान तक, अनिल सिंह के मकान से महेश बाल्मीकि के मकान व मर्जिना के मकान तक, प्रकाश के मकान से श्यामलाल के मकान तक, जीवन लाल के मकान से बाबूराम के मकान व महेन्द्र के मकान तक, उमा शंकर के मकान से बाबूराम के मकान तक, अजय के मकान से	26.8



दस्तावेज- 2286709

2286710

नव बेलना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम/द्वितीय किश्त)
				मोहम्मद अनी के मकान से बुजारत के मकान से अनवर के मकान से निजाम के मकान तक, गुलाम नवी के मकान से साबिर अली के मकान तक व ओम प्रकाश वर्मा के मकान से कौशल्य के मकान से मैटी तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
16	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट (द्वितीय किश्त)	न०नि० कानपुर	लक्ष्मीपुरवा में हीरालाल के मकान से किशन कुमार के मकान तक, जमुना के मकान से राम औतार के मकान तक, सोनू बाल्मीकि के मकान से मोहन लाल के मकान तक, लक्ष्मण विश्वकर्मा के मकान से अशोक कुमार के मकान तक, नियामत उल्ला के मकान से काली चरन के मकान तक एवं मुरारी लाल साहू के मकान से मो० उस्मान के मकान से मोती लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.208
	योग				666.524

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिवक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



6/9/15

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक